न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

अध्यासीन – श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
63/2025	13.06.2025	15.07.25

उनवान

1. भावना पत्नि मनोज कुमार जाति खत्री निवासी झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
2. बच्चूमल पुत्र गेहूमल जाति खत्री निवासी झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
3. फागन पुत्र कुन्दन जाति खत्री निवासी झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
4. हसमल पुत्र टोपनदास जाति खत्री निवासी झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

:–प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0 टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति:–1 वादी की ओर से श्री कपिल कान्त शर्मा वकील।
2 प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब सरकार व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.4000 हे. चाही अलिफ वाके ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में से 26/32 हिस्सा यानि 1 बीघा 06 बिस्वा वर्तमान हिस्सा 13/16 भाग मिन वादीया ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.07.2013 को पु0सं0 1 जिल्द संख्या 499 के पृष्ठ संख्या 61 क्रमांक संख्या 2013004334 के अतिरिक्त पु0सं0 1 जि0सं0 115 के पृष्ठ संख्या 88 से 91 के द्वारा खरीद की है, जो आराजी हिस्सा 13/16 भाग मिन वादीया की खरीद शुदा खातेदारी की आराजी है। शेष 3/16 भाग अर्थात रकबा 0–06 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 4 हसमल पुत्र टोपनदास खातेदारी का है। जमाबन्दी मे वादीया के नाम का अंकन बतौर खातेदार दर्ज हो रहा है। जो आराजी प्रस्तुत वाद मे विवादित आराजी कहलायेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 संलग्न वाद पत्र है।

आराजी खसरा संख्या 197 रकबा 0.4000 हे. चाही अलिफ वाके ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान मे से 26/32 हिस्सा यानि 13/16 भाग को

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मिन वादीया ने तत्कालीन खातेदारान श्री अजय कुमार, श्री हितेश कुमार, श्री करूण कुमार पुत्रान देवनदास एवं अशोक कुमार, श्रीमति मीना देवी बेवा देवनदास एवं अशोक कुमार जाति खत्री (सिन्धी) निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल-तिजारा राजस्थान से बाकब्जा खरीद किया है। बयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 4786 मिन वादीया के नाम दर्ज व मन्जूर हुआ है। जिस आराजी पर मिन वादीया रकबा खरीद से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। तथा आज भी मौके पर कब्जा है, फसल बोई हुई है। आराजी की बाबत समस्त हक हकूक खातेदारी राईटस वादीया को हासिल है। शेष 3/16 भाग पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है।

विवादित आराजी खसरा संख्या 197 रकबा 0.4000 है. चाही अलिफ पर रकबा खरीद किसी दीगर का कोई कब्जा काश्त नहीं था, ना आज ही है। किन्तु जमाबन्दीयात में बकाश्त बच्चूम पुत्र गेडूमल खत्री सा0 देह शिकमी साल 5 बकाश्त फागन पुत्र कुन्दन खत्री सा0 देह शिकमी साल 5 अलोनी के नाम का अकन खिलाफ कानून व खिलाफ मौका कब्जा अंकित किया हुआ है। जो हकूक वादीया के विरूद्ध गलत एण्ड वाईड है। हजफ किये जाने योग्य है। जबकि उपरोक्त बच्चूमल, फागन नाम के आदमी ग्राम झिरिण्डया में गत 20 सालो से आबाद नहीं है, और ना ही उनके कोई परिवारजन पुत्र अथवा पुत्रीया ही ग्राम झिरिण्डया में मौजूद है। जिनका कोई अता पता नहीं हो। जो गैर काबिज गैर वास्ता आराजी है। आज दिन भी उपरोक्त शिकमी काश्तकारों का कोई कब्जा मौके पर नहीं है। किन्तु रिकॉर्ड जमाबन्दी मे शिकमी काश्तकार के नाम का अकन होने के कारण मिन वादीया को केसीसी कार्ड जारी कराने, विनिमय कराने में परेशानी आ रही है। मिन वादीया का कृषि विकास रूका हुआ है। ऐसी सूरत मे शिकमी बकाश्त बच्चूमल पुत्र गेडूमल व बकाश्त फागन पुत्र कुन्दन खत्री शिकमी साल 5 के नाम का अकन हजफ कराया जाना आवश्यक हो गया है। जिसे कलमजन कराया जाकर दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री पारित की जावे। अतः दावा इश्तकरारहक पेश है।

विवादित आराजीयात की बाबत वादीया ने प्रशासन गॉव के संग अभियान कैम्प नूरनगर मे प्रतिवादी के समक्ष आवेदन दिया था जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की हिदायत दी, अतः बिना देरी वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

वाद राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार किशनगढबास के विरूद्ध मुकदमा अर्जेन्ट प्रकृति का होने के कारण तुरन्त ही दावा दायर करने हेतु दफा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलदेहा से प्रस्तुत है। चूंकि विवादित आराजी में बडा हिस्सा 13/16 भाग मिन वादीया की निजि खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादी संख्या 4 को आराजी का सहखातेदार होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया जा रहा है। जिसके विरूद्ध वादीया ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अतः वाद हकूक आराजी की बाबत् वादीया की तरफ से पेश किया जा रहा है।

विवादित आराजी ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा में स्थित है। तथा पक्षकारान भी हदूद न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार के निवासी है। दावा काबिल समायत अदालत श्रीमान है।

दावा हाजा पर 2 रूपये कोर्ट फीस व 2 रूपये तलबाना फीस चस्पा कर पेश है।

दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वाद वादीया बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

अ - डिक्री बहक वादीया पारित की जारक करार दिया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.4000 है0 चाही आलिफ मे से 13/16 भाग अर्थात रकबा 1 बीधा 06 बिस्वा वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा पर जो शिकमी काश्त का अंकन बच्चूमल पुत्र गेडूमल व फागन पुत्र कुन्दन खत्री प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम का दर्ज किया हुआ है। उपरोक्त अंकन हकूक वादीया के विरूद्ध नल एण्ड वाईड है। हजफ होने योग्य है, जिसे हजफ फरमाया जाकर डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज बाद मौका रिपोर्ट पारित की जावे व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम का अंकन यथावत कायम रखा जावे।

खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे। दीगर दादरसी जो अदालत मुनासिब हो बहक वादी बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पैराकार मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। तहसीलदार किशनगढबास से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.4000 हे. वाके ग्राम झिरिण्डया पर भावना पत्नि मनोज कुमार हिस्सा 13/16, हसमल पुत्र टोपनदास हिस्सा 3/16 जाति त्री सा.देह खातेदार अ.विव. बकाश्त बच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री सा.देह शिकमी साल 5 बकाश्त फागन पुत्र कुन्दन खत्री सा.देह शिकमी साल 5 अलौटी दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उक्त आराजी पर वर्तमान में भावना पत्नि मनोजकुमार जाति खत्री निवासी हाल किशनगढबास का कब्जा काश्त है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर पडत पडा हुआ है। तथा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा यह भी कथन किया गया कि जमाबन्दी में दर्ज हसमल पुत्र टोपनदास, बच्चूमल पुत्र गेडूमल, फागन पुत्र कुन्दन नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम में निवास नही करता है तथा उक्त आराजी से उपरोक्त तीनों का वर्तमान में कोई संबंध नहीं है। तथा उक्त आराजी पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए, जिनकी विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई।वादीया ने स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लू-1, तेजप्रकाश पुत्र रतनलाल जाति मेघवाल निवासी झिरिण्डया पी.डब्लू-2 एवं कृपाराम पुत्र मिठ्ठूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झिरिण्डया शपथ पत्र पी.डब्लू-3 पेश किया। दस्तावेजात प्रदर्श कराए गए। वादीया ने दस्तावेजी प्रदर्श में हाल जमाबन्दी संवत् 2073-2076 प्रदर्श-1, नकल विक्रय पत्र दिनांक 29.07.2013 प्रदर्श-2, जवाब पैरोकार प्रदर्श-3, प्रदर्श-4 रिपोर्ट पटवारी हल्का गंज पेश किये। वकील वादीया ने साक्ष्य बंद कर पत्रावली बहस हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादीया की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीया डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादीया की बहस पर मनन किया गया। अद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। आराजी हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.4000 हे. चाही अलिफ वाके ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा राजस्थान में से 13/16 भाग मिन वादीया भावना पत्नि मनोज कुमार ने अजय कुमार, हितेश कुमार, करूण कुमार पुत्रान व मीना देवी बैवा नेचलदास उर्फ अशोक कुमार जाति खत्री (सिंधी) से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.07.2013 को खरीद की हुई है तथा खरीद दिनांक से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। तहसीलदार किशनगढबास से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर वादीया भावना पत्नि मनोजकुमार जाति खत्री का कब्जा काश्त है। तथा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हसमल पुत्र टोपनदास, बच्चूमल पुत्र गेडूमल, फागन पुत्र कुन्दन नाम का कोई व्यक्ति ग्राम में निवास नही करता है तथा वर्तमान में उक्त आराजी से तीनों का कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में विवादित आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

नही है। तथा शेष 3/16 भाग पर प्रतिवादी संख्या 4 हरामल पुत्र टोपनदास का कब्जा है। प्रस्तुत साक्ष्य, जवाब पैरोकार, मौका रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास से स्पष्ट है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.4000 हे. किस्म चाही अलिफ वाके ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के 13/16 भाग वादीया भावना पत्नि मनोजकुमार द्वारा अजय कुमार, हितेश कुमार, करूण कुमार पुत्रान व मीना देवी बैवा नेचलदास उर्फ अशोक कुमार जाति खत्री (सिंधी) से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.07.2013 को खरीद किया हुआ है। तथा वादीया खरीद दिनांक से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त आराजी का इंतकाल वादीया के नाम दर्ज वो स्वीकार हो चुका है परन्तु पहले से चले आ रहे बकाश्त एवं शिकमी का अंकन बदस्तूर चला आ रहा है। प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि बकाश्त एवं शिकमी काश्तकारों का विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का संबंध वो सरोकार नही है। अतः वादीया भावना पत्नि मनोजकुमार हिस्सा 13/16 जाति–खत्री सा.देह खातेदार के नाम के समक्ष जो अंकन अ.विव. बकाश्त बच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री सा.देह शिकमी साल 5 बकाश्त फागन पुत्र कुन्दन खत्री सा.देह शिकमी साल 5 अलोटी का हो रहा है, उसे कलमजन किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.4000 हे0 किस्म चाही अलिफ पर वादीया भावना पत्नि मनोजकुमार हिस्सा 13/16 अर्थात 1 बीघा 06 बिस्वा जाति–खत्री सा.देह खातेदार के नाम के समक्ष जो अंकन अ.विव. बकाश्त बच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री सा.देह शिकमी साल 5 बकाश्त फागन पुत्र कुन्दन खत्री सा.देह शिकमी साल 5 अलोटी का हो रहा है, उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 का अंकन यथावत रहेगा। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

अध्यासित – श्री मनीष कुमार जाटव आर०ए०एस०

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
163 / 2025	13.05.2025	15.07.25

उनवान

1. भावना पत्नि मनोज कुमार जाति खत्री निवासी झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
2. बच्चूमल पुत्र गेडूमल जाति खत्री निवासी झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
3. फागन पुत्र कुन्दन जाति खत्री निवासी झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
4. हसमल पुत्र टोपनदास जाति खत्री निवासी झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0 टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति:–1. वादी की ओर से श्री कपिल कान्त शर्मा वकील।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब सरकार व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की एक पक्षीय कार्यवाही।

पर्चा डिकी

वाद वादी डिकी किया जाकर राजस्व ग्राम झिरिण्डया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.4000 हे0 किस्म चाही अलिफ पर वादीया भावना पत्नि मनोजकुमार हिस्सा 13/16 अर्थात 1 बीघा 06 बिस्वा जाति–खत्री सा.देह खातेदार के नाम के समक्ष जो अकन अ.विद. बकाश्त बच्चूमल पुत्र गेडूमल खत्री सा.देह शिकमी साल 5 बकाश्त फागन पुत्र कुन्दन खत्री सा.देह शिकमी साल 5 अलोटी का हो रहा है, उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 का अकन यथावत रहेगा। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner